



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2158]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 2017/श्रावण 12, 1939

No. 2158]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 2017/SRAVANA 12, 1939

जलसंसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2017

का.आ. 2458(अ).—केन्द्रीय सरकार ने अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 169 (अ) तारीख 2 अप्रैल, 1986 द्वारा, उसमें निर्दिष्ट पंजाब समझौते के कतिपय विषयों के सत्यापन और न्याय निर्णयन के लिए, रावी और व्यास जल अधिकरण का गठन किया था, और, उक्त अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट तारीख 30 जनवरी, 1987 को केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित थी;

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के निबंधनानुसार उक्त अधिकरण को, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर अपेक्षित स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन के लिए तारीख 19 अगस्त, 1987 को अतिरिक्त निर्देश किये थे;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिकरण द्वारा आगे की रिपोर्ट को पूरा करने में किये जाने वाले वृहत कार्य को ध्यान में रखते हुए, उक्त रिपोर्ट देने की अवधि को समय-समय पर तारीख 5 अगस्त, 2017 तक बढ़ाया था;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिकरण द्वारा उल्लेख किये गए अन्तर्वलित कार्य की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उक्त अवधि को तारीख 5 अगस्त, 2017 के पश्चात् एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक समझती है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस अवधि को, जिसके भीतर उक्त अधिकरण इस प्रकार किये गए निर्देशों पर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेज सकेगा, 5 अगस्त, 2018 तक आगे बढ़ाती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 905(अ), तारीख 5 अगस्त, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के अंतिम पैरा में शब्दों, अंकों और अक्षरों “5 अगस्त, 2017 तक” के स्थान पर “5 अगस्त, 2018 तक” शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।

[फा. सं. 20/1/2016-बी.एम.]

संजय कुंडू, संयुक्त सचिव

टिप्पण: रावी ब्यास जल अधिकरण का गठन करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 169(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें अधिसूचना संख्यांक का.आ. 666(अ), तारीख 10 जून, 2003 द्वारा संशोधन किया गया और उस अवधि को जिसके भीतर अधिकरण से अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजने के लिए अपेक्षा की गई थी, समय-समय पर अधिसूचना संख्यांक का.आ. 905(अ), तारीख 5 अगस्त, 2003, का.आ. 889(अ), तारीख 5 अगस्त, 2004, का.आ. 166(अ), तारीख 4 फरवरी, 2005, का.आ. 1093(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005, का.आ. 133(अ), तारीख 3 फरवरी, 2006, का.आ. 1218(अ), तारीख 28 जुलाई, 2006, का.आ. 104(अ), तारीख 2 फरवरी, 2007, का.आ. 1112(अ), तारीख 6 जुलाई, 2007, का.आ. 212(अ), तारीख 30 जनवरी, 2008, का.आ. 1700(अ), तारीख 16 जुलाई, 2008, का.आ. 397(अ), तारीख 4 फरवरी, 2009, का.आ. 1812(अ), तारीख 23 जुलाई, 2009, का.आ. 203(अ), तारीख 29 जनवरी, 2010, का.आ. 1920(अ), तारीख 5 अगस्त, 2010, का.आ. 250(अ), तारीख 4 फरवरी, 2011, का.आ. 1803(अ), तारीख 5 अगस्त, 2011, का.आ. 216(अ), तारीख 3 फरवरी, 2012, का.आ. 1736(अ), तारीख 3 अगस्त, 2012 और का.आ. 317(अ) तारीख 5 फरवरी, 2013 और का.आ. 2310(अ) तारीख 29 जुलाई, 2013 का.आ. 2002(अ), तारीख 6 अगस्त 2014, का.आ. 2176(अ), तारीख 10 अगस्त, 2015, का.आ. 2571(अ), तारीख 29 जुलाई, 2016 द्वारा बढ़ाई गई।

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2017

S.O. 2458(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 14 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), constituted the Ravi and Beas Waters Tribunal for verification and adjudication of certain matters of the Punjab Settlement, referred therein, *vide* notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Water Resources, *vide* number S.O. 169(E), dated the 2nd April, 1986, and the said Tribunal forwarded its report to the Central Government on the 30th January, 1987;

And whereas, further references have been made by the Central Government to the said Tribunal on the 19th August, 1987, requiring explanation and guidance on the report aforesaid, in terms of sub-section (3) of section 5 of the said Act;

And whereas, considering the enormous exercise undertaken by the said Tribunal in completing its further report, the Central Government extended from time to time the period of making the said report, till the 5th day of August, 2017;

And whereas, the Central Government, keeping in view the exigencies of the work involved, as pointed out by the said Tribunal, considers it necessary to extend the said period for one year after the 5th day of August, 2017.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 5 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the Central Government hereby further extends the period, within which the said Tribunal may forward its report on the references so made, to the Central Government till the 5th day of August, 2018, and for that purpose, makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Water Resources, number S.O. 905(E), dated the 5th August, 2003, namely:-

In the said notification, in the last paragraph, for the words, figures and letters “till the 5th day of August, 2017”, the words, figures and letters “till the 5th day of August, 2018” shall be substituted.

[F. No. 20/1/2016-BM]

SANJAY KUNDU, Jt. Secy.

Note: The principal notification constituting the Ravi and Beas Waters Tribunal was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 169(E), dated the 2nd April, 1986 and subsequently amended *vide* number S.O. 666(E), dated the 10th June, 2003; and the period within which the Tribunal was required to forward its further report to the Central Government was extended from time to time *vide* notifications number

S.O. 905(E), dated the 5th August, 2003, S.O. 889(E), dated the 5th August, 2004, S.O. 166(E), dated the 4th February, 2005, S.O. 1093(E), dated the 4th August, 2005, S.O. 133(E), dated the 3rd February, 2006, S.O. 1218(E), dated the 28th July, 2006, S.O. 104(E), dated the 2nd February, 2007, S.O. 1112(E), dated the 6th July, 2007, S.O. 212(E), dated the 30th January, 2008, S.O. 1700(E), dated the 16th July, 2008, S.O. 397(E), dated the 4th February, 2009; S.O. 1812(E), dated the 23rd July, 2009, S.O. 203(E), dated the 29th January, 2010, S.O. 1920(E), dated the 5th August, 2010, S.O. 250(E), dated the 4th February, 2011, S.O. 1803(E), dated the 5th August, 2011, S.O. 216(E), dated the 3rd February, 2012, S.O. 1736(E), dated the 3rd August, 2012, S.O. 317(E) dated the 5th February, 2013. S.O. 2310(E), dated the 29th July, 2013, and S.O. 2002(E), dated 6th August, 2014, S.O. 2176(E), dated 10th August, 2015, S.O. 2571(E), dated 29th July, 2016.